न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः– 96/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00122)

1. शिवदान,
2. जगदीश,
3. हरफूल, पिसरान मौहरी लाल, जाति जाट निवासी, श्यामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. किंजल कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये निदेशक लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री खेमराज चौधरी, जाति जाट, निवासी ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. भागीरथ प्रसाद पुत्र श्री सोहन लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम असरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 27.09.2010 (प्रकरण संख्या 21/09) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों से हटकर स्वयं के पद का दुरूपयोग करते हुये गणेश पुत्र किशना व रेस्पोडेन्ट को लाभ देने की नियत से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, गणेश पुत्र किशना फौत हो चुके है, जिनके विधिक वारिसान बाबूलाल, साधूराम, महीपाल पुत्रान गणेश है जिनको भी सुनवाई का अवसर नही दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपीलान्ट की कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग की भूमि को बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही अन्य खातेदारों के नाम तरमीम करदी गई जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि अथवा पूर्व राजस्व अभिलेखों में यदि हाल अभिलेख तैयार करते समय त्रुटि करदी गयी है तो धारा 136 के तहत प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व हाल नक्शा ट्रेस में तरमीम बाबत प्रस्तुत किया गया था जो न्यायिक प्रक्रिया नही है तथा न ही इस प्रकार की तरमीम लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर के द्वारा की जा सकती है, इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त

P.T.P.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट भूमि खसरा संख्या 60/3 के खातेदार काश्तकार है जिनकी दक्षिणी सीमा पर सिवाई चक भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में ली जाती है तथा अन्य खातेदारों का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 47 ने नये बटा नम्बर अपीलाधीन आदेश की आड़ में 47/3 तरमीम करवाकर खसरा नम्बर 47 की दक्षिणी सीमा पर स्थापित करवा दी गई, जो स्थान गणेश के वारिसान के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से बिना कब्जेधारी व पड़ौसी खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये ही प्रभावशील व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की गरज से समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर वास्तविक मौके व रिकार्ड के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उक्त खसरा नम्बरान 46 व 47 के खातेदारों की सूचि क्रम संख्या 2, 3, व 5 के खातेदारों की तरमीम क्रमशः खसरा नम्बर 47/3, 47/1, व 47/2 के पश्चात् क्रम संख्या 6 की खातेदारी की भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 47/4 होगी व क्रम संख्या 1 के खातेदारों की तरमीम खसरा नम्बर 46/1 व 46/2 होगी तथा क्रम संख्या 6 व 4 पर दर्ज खातेदारो की तरमीम नक्शे में खसरा नम्बर 46 में से कम होकर खसरा नम्बर 47/5 होनी चाहिये। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार जमवारामगढ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचीबद्ध खातेदारों को नोटिस जारी किये ही व पड़ौसी खातेदारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 27.09.2010 को हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट पर आदेश पारित कर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही अपने आदेश का मुख्य आधार मानते हुऐ, तहसीलदार जमवारामगढ को पालना हेतु विधि विरूद्ध आदेश दिये गये है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है तथा गणेश पुत्र किशना के वारिसानों द्वारा एक कार्यवाही धारा 183 के तहत की गई है जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक की दिनांक 09.03.2016 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनयम अलग से प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायाल द्वारा आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार नही बनाया गया है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 21/09 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2010 अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला

संभागीय आयुक्त

P.T.P.

जयपुर स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 46 मिन 1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, 46 मिन 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 47 रकबा 5 बीघा स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 8 बीघा स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 उक्त अपनी–अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर साधिकार काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 47 के मिन नम्बर बनाये जाने के पश्चात् खसरा नम्बर 47 में से 13 बीघा भूमि शेष रही था शेष बची भूमि का खसरा नम्बर 47 का कोई मिन नम्बर नही बनाऐ जाने की वजह से उक्त रकबा 8 बीघा व 5 जिसका कि राजस्व भू अभिलेखों जमाबन्दी में तो अलग–अलग अंकित है किन्तु खसरा नम्बर 47 का मिन नम्बर निर्धारित नही किये जाने की वजह से उक्त भूमि के दो अलग–अलग खातेदारों के भूमि का खसरा नम्बर 1 ही 47 अंकित है जिसमें खसरा नम्बर 47 रकबा 5 बीघा का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खातेदार काबिज काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 47 रकबा 8 बीघा का रेस्पोडेन्ट संख्या 3 खातेदार काबिज काश्तकार है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राजस्व भू अभिलेखो में खसरा नम्बर 46 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 47 का कुल रकबा 8+5= 13 बीघा है किन्तु उक्त भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस राजस्व भू अभिलेखों जमाबन्दी के कतई विपरित खसरा नम्बर 46 का रकबा लगभग 15 बीघा व खसरा नम्बर 47 का रकबा 5 बीघा है जोकि राजस्व रिकार्ड के कतई विपरित है व गलत है जो दुरूस्त किये जाने योग्य होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीदार से जवाब तलब करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने भी स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

131 व 136 के तहत प्रस्तुत किया गया है तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब क्रमांक 85 दिनांक 08.09.2010 किया गया जिसमें खसरा नम्बरान 46 व 47 बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अलावा भी अन्य खातेदारान के नाम अंकित किये गये है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2010 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2010 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।